

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुम्भलगढ़ जिला-राजसमन्द

187 सन् 2015 किस्म मुकदमा 911

अभिप्रेत वगैरह बनाम बाबुलाल वगैरह

आदेशिका

हस्ताक्षर/सूचना

11/19 पत्रावली पेश हुने आधी अन्त पदमा राख
 उपस्थित है अधिवक्ता वली को पूर्व में 9.50
 22(3) पेश गर्ने हेतु 500/- रूपये की कोष
 पर अवकाश दिया गया है अतः अतः अन्त अन्त
 माहने है अतः 500/- रूपये की अधिवक्ता
 कोष पर अवकाश दिया गया है 9.50
 अवकाश हेतु अवकाश माहने है अन्तिम अन्त
 दिया गया है पत्रावली दिनांक 5-12-19 को
 किया है

5 12/19 पत्रावली पेश हुने न्यायालय समय में
 बन्द कर आवाजे लगावारी गरी परन्तु बाकीगण
 व उनके अधिवक्ता कोई उपस्थित नहीं
 हुए। लिहाज प्रकार ~~प्रकार~~ अन्त पत्रावली/
 अन्त क्षत्री में जारी किया जाता है
 पत्रावली केवल शुभत है कलमावत
 से अन्त है त्रिपुप सुले न्यायालय में
 सुनाया गया है

सहायक कलक्टर
 (एस.डी.ओ.) कुम्भलगढ़
 जिला-राजसमन्द

